

जनपद-बागेश्वर ।

वित्तीय वर्ष 2024-25 (दिनांक 01.04.2024 से 31.03.2025 तक) हेतु अवशेष व नवसृजित मदिरा दुकानों का निर्धारित राजस्व								
दुकान का नाम/प्रकार	निर्धारित वार्षिक राजस्व	निर्धारित लाइसेंस फीस का 1 प्रतिशत 1000 के पूर्णांक में	वार्षिक आश्मिार	कुल राजस्व	हेतुव्ययत की धनराशि	प्रथम /द्वितीय (01 माह) प्रतिभूति की धनराशि	धरोहर धनराशि	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
विदेशी मदिरा दुकान भराडी	52000000	520000	51480000	52000000	7800000	4290000	1300000	
2	विदेशी मदिरा दुकान बालीघाट	19500000	19305000	19500000	2925000	1608750	487500	
3	विदेशी मदिरा दुकान सीमार	30000000	29700000	30000000	4500000	2475000	750000	
4	विदेशी मदिरा दुकान गौवाड / पिनालकोट	30000000	29700000	30000000	4500000	2475000	750000	
5	विदेशी मदिरा दुकान गिरीछीना	11000000	10890000	11000000	1650000	907500	275000	
6	देशी मदिरा दुकान गरूड	42050165	41629165	42050165	6307525	3469097	1051254	
7	देशी मदिरा दुकान बालीघाट	10000000	9900000	10000000	1500000	825000	250000	
8	देशी मदिरा दुकान गिरीछीना	6500000	6435000	6500000	975000	536250	162500	
		201050165	2011000	199039165	201050165	30157525	16586597	5026254

Ala bar
(कनिष्ठ सहायक)
बागेश्वर ।

Ala bar
(आबकारी निरीक्षक)
बागेश्वर

Ala bar
(जिला आबकारी अधिकारी)
बागेश्वर

Ala bar
(जिला आबकारी अधिकारी)
बागेश्वर

कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, बागेश्वर।

विज्ञप्ति

सर्वसधारण को सूचित किया जाता है कि उत्तराखण्ड शासन, आबकारी अनुभाग की अधिसूचना संख्या-148(1)/XXIII-1/2024-04(01)/2024 देहरादून दिनांक 21 फरवरी, 2024 एवं कार्यालय आबकारी आयुक्त, उत्तराखण्ड देहरादून के पत्र संख्या:- 24972/सात लाईंस-47/व्यव/2024-25/सांनिर्देश/विज्ञप्ति/देहरादून, दिनांक 29.02.2024 एवं कार्यालय आबकारी आयुक्त के विज्ञप्ति संख्या 26182/सात लाईंस-47/आबकारी नीति-2024/देहरादून दिनांक 11 मार्च 2024 के क्रम में आबकारी नीति 2024 के बिन्दु सं० 1.1 (2) के अनुसार जनपद बागेश्वर में अव्यवस्थापित व नवसृजित विदेशी/देशी मदिरा दुकानों का राजस्व विवरण निम्नवत है-

क्र०स०	दुकान का नाम	दुकान का प्रकार	वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु निर्धारित राजस्व	वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु निर्धारित लाईंस फीस	वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु निर्धारित वार्षिक अधिभार	वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु कुल राजस्व का 15 प्रतिशत हैसियत	प्रथम/द्वितीय प्रतिभूति की धनराशि	वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु धरोहर धनराशि कुल राजस्व का 2.5 प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	भराड़ी	विदेशी	52000000	520000	51480000	7800000	4290000	1300000
2	बालीघाट	विदेशी	19500000	195000	19305000	2925000	1608750	487500
3	सीमार	विदेशी	30000000	300000	29700000	4500000	2475000	750000
4	गैवाड़/पिगलकोट	विदेशी	30000000	300000	29700000	4500000	2475000	750000
5	गिरीछीना	विदेशी	11000000	110000	10890000	1650000	907500	275000
6	गरुड़	देशी	42050165	421000	41629165	6307525	3469097	1051254
7	बालीघाट	देशी	10000000	100000	9900000	1500000	825000	250000
8	गिरीछीना	देशी	6500000	65000	6435000	975000	536250	162500

दिनांक 01.04.2024 से दिनांक 31.03.2025 तक की अवधि हेतु उक्त देशी/विदेशी मदिरा दुकानों को वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु प्रथम चरण (लॉटरी) के माध्यम से व्यवस्थापित किये जाने के लिये कार्यक्रम निम्नानुसार निर्धारित किया गया है:-

क्र०स०	विवरण	दिनांक व समय
01	लॉटरी हेतु आवेदन करने की तिथि (प्रारम्भ)	दिनांक 14.03.2024
	लॉटरी हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि व समय	16.03.2024 सायं 5:00 बजे तक
	लॉटरी हेतु आवेदन पत्रों का परीक्षण	दिनांक 17.03.2024
	लॉटरी की तिथि	दिनांक 18.03.2024 के प्रातः 10:00 बजे से प्रक्रिया समाप्त होने तक


अतः इच्छुक व्यक्ति निर्धारित आवेदन पत्र पर उक्त मदिरा दुकानों हेतु आवेदन शुल्क 65,000/- (नॉन रिफण्डेबल) व निर्धारित धरोहर धनराशि कुल राजस्व के 2.5 प्रतिशत के बराबर का बैंक ड्राफ्ट जो जिला आबकारी अधिकारी बागेश्वर के नाम देय हो, एवं अन्य वांछित अभिलेखों सहित दिनांक 16.03.2024 समय 5:00 बजे सायं तक आवेदन कर सकते हैं। आबकारी नीति 2024 के बिन्दु सं० 3.17 (1) के अनुसार प्रथम चरण (लॉटरी) हेतु सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य का स्थाई/मूल निवासी पात्र होगा। अन्य जानकारी कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, बागेश्वर/क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षक एवं विभागीय वेबसाइट Www.Uttarakhandexcise.org.in तथा www.uk.gov.in से प्राप्त कर सकते हैं।

(मीनाक्षी टम्टा)
जिला आबकारी अधिकारी,
बागेश्वर।

कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, बागेश्वर।

प्रतिलिपि-

1. आबकारी आयुक्त, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. जिलाधिकारी, बागेश्वर।
3. संयुक्त आबकारी आयुक्त, आई0टी0 मुख्यालय देहरादून को इस आशय के साथ प्रेषित कि, उक्त सूचना को जन सामान्य के अवलोकनार्थ विभागीय वेबसाईट Www.Uttarakhandexcise.org.in में अपलोड करवाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें।
4. जिला सूचना अधिकारी, बागेश्वर को सूचनार्थ प्रेषित।
5. प्रतिनिधि दैनिक जागरण, अमर उजाला, हिन्दुस्तान, राष्ट्रीय सहारा बागेश्वर को इस आशय के साथ प्रेषित की उक्त विज्ञप्ति को दिनांक 14.03.2024 के संस्करण में न्यूनतम स्पेश एवं न्यूनतम दरो पर छपवाने का कष्ट करें।


जिला आबकारी अधिकारी,
बागेश्वर।

I-
-
त
ने
।